

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

.....

New Delhi, the 1st July, 1986

NOTIFICATION
Income - Tax

S.O. _____ Vide Notification No. S.O. 1456, [No. 275/2/84-IT(B)] dated 19th April, 1984 in pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section 3 of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government notified Maruti Udyog Limited, Gurgaon (Haryana) for the purpose of the said clause.

2. The Central Government hereby rescinds that notification and de-notifies Maruti Udyog Limited, Gurgaon (Haryana) for the purpose of said sub-clause.

No. 6783 [F.No. 275/72/85-IT(B)]

(B. NAGARAJAN)

Deputy Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi.

F.No. 275/72/85-IT(B)

New Delhi, the 1st, July, 1986

Copy forwarded to:-

1. All Chief Commissioners of Income-tax (Admn)/
Commissioners of Income-tax.
2. All Directors of Inspection of Central Board of Direct Taxes.
3. C&AG of India, New Delhi (50 copies)
4. Ministry of Law, Justice & CA (Legislative) Deptt./
Department of Legal Affairs, New Delhi.
5. Director, C&M (Income-tax Services), Aiwan-e-Galib
New Delhi.
6. DI (RS&PR) - (6 copies), New Delhi for issue.
7. Shri A.R. Halasyan, General Manager (Finance),
Maruti Udyog Limited, Palam-Gurgaon Road, Gurgaon
(Haryana) with detailed order for de-notification.
8. All Officers/Sections in C.B.D.T.

(B. E. Alexander)

Under Secretary to the Govt. of India.

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3।।।। में प्रकाशना

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
। राजस्व विभाग ।

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 1986.

का0आ0 आयकर अधिनियम, 1961 । 1961 का 43। की धारा 194 क की उपधारा 3 के खंड ।।।। के उप खंड ।च। के अनुसरण में दिनांक 19 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1456/फा0सं0 275/2/84-आ0क0।ब।7 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त खंड के प्रयोजनार्थ मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव ।हरियाणा। को अधिसूचित किया था ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना को रद्द करती है और उक्त/उप-खंड के प्रयोजनार्थ मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव ।हरियाणा। को अनधिसूचित करती है ।

No. 6783 / फा0सं0 275/12/85-आ0क0।ब।7

बा० नागराजन

। बा० नागराजन ।
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी,
नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित ।

xसूत्री x

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3।iii में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
। राजस्व विभाग ।

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 1986.

का0आ0 आयकर अधिनियम, 1961 11961 का 43। की धारा 194 क की उपधारा 3 के खंड 1।iii के उप खंड 1।य के अनुसरण में दिनांक 19 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1456/फा0सं0 275/2/84-आ0क0।ब।7 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त खंड के प्रयोजनार्थ मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव ।हरियाणा। को अधिसूचित किया था ।

2. केन्द्रीय सरकार ^{उप-}सद्वारा उक्त अधिसूचना को रद्द करती है और उक्त/खंड के प्रयोजनार्थ मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव ।हरियाणा। को अनधिसूचित करती है ।

6783 7 फा0सं0 275/12/85-आ0क0।ब।7

विनागराजन

। बत0 नागराजन ।
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी,
नई दिल्ली ।

xखयी x